



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 14.09.2023

प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें में अभियुक्तगण को
आजीवन कारावास व 25-25 हजार रू0 का अर्थदण्ड

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-431/2006 धारा-302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. संतोष सोनकर 2. रामबाबू सोनकर पुत्रगण स्व. भइया लाल सोनकर निवासीगण एस-38/22 हुकुलगंज थाना कैण्ट वाराणसी 3.संतोष पासवान पुत्र हीरालाल पासवान निवासी हुकुलगंज, थाना कैण्ट, वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे.-01 जनपद वाराणसी द्वारा आज दिनांक 14.09.2023 को अन्तर्गत धारा 302/201 भादवि दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी